


पत्र क्रमांक निर्वाचन-2019 / 248.....

दिनांक: 23/2/19

—:निविदा सूचना:—

लोक सभा आम चुनाव 2019 के लिये जिला चरखी दादरी के चुनाव कार्यों के लिये पायलेट रिहर्सल/ए0आर0ओ0 लेवल रिहर्सल, मतगणना की रिहर्सल इत्यादि की व्यवस्था हेतु टैन्ट/ टैन्ट से सम्बन्धित सामान की आवश्यकता होगी। चरखी दादरी जिला के सभी दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नामतः 55—बाढडा, 56—दादरी के लिए सील निविदायें/टेंडर आगामी विधान सभा चुनाव तक रेट कांट्रेक्ट हेतू स्थानीय एवं अनुभवी फर्मों से स्वयं के लेटर हेड पर आमंत्रित की जाती हैं। सम्बन्धित नियम व शर्तें सरकारी वेबसाईट <https://Charkhidadri.gov.in> पर उपलब्ध है। निविदायें/टेंडर दिनांक 28.02.2019 से दिनांक 06.03.2019 साय: 3:00 बजे तक कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी में जमा करवानी होगी तथा दिनांक 06.03.2019 को साय: 4:00 बजे खोली जायेगी। वित्तीय निविदा एवं Technical Bid अलग अलग लिफाफे में जमा करनी होगी। लिफाफे पर फर्म का Address तथा Mob. No. अंकित होना चाहिये।



उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।


Technical Bid:-



- फर्म के पास जी.एस.टी. नं0 होना चाहिए।
- फर्म शोप अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।
- फर्म की पिछले तीन साल की Turnover, Balance Sheet & Profit and Loss A/c जो Chartered Accountants से सत्यापित होनी चाहिये।
- फर्म की एक साल की Turnover 25 लाख या इससे अधिक होनी चाहिये।
- फर्म का PAN No. होना चाहिए।
- फर्म की तीन साल की इन्कम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए।
- फर्म ब्लैकलिस्टिड नहीं होनी चाहिए
- फर्म दिवालिया न हो इस बारे सर्टीफिकेट होना चाहिए।
- फर्म का उक्त कार्य मे तीन साल का सरकारी या अर्धसरकारी या निगम में कार्य का अनुभव होना चाहिए।

नोट:- उक्त सभी प्रकार के दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र साथ संलग्न करे।

कमेटी सदस्य


निर्वाचन कानूनगो
चरखी दादरी।


लेखा अधिकारी
हरियाणा परिवहन, च0 दादरी



नगराधीश महोदय
चरखी दादरी

उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

लोक सभा आम चुनाव-2019 से सम्बन्धित टैन्ट हेतु नियम एवं शर्तः-


1. चुनाव समाप्ति की तिथि तक कभी भी बुलाया जा सकता है।
2. टैन्ट के रेट प्रतिदिन के हिसाब से दर्शाये जाये।
3. टैन्ट की गुणवत्ता (Quality) उच्च स्तर की होनी चाहिए।
4. टैन्ट के सम्बन्ध में किसी प्रकार की लापरवाही बारे निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
5. टेंडर फीस राशि 2000/- रुपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी जो कि नान रिफंडेबल होगा (in favour of Deputy Commissioner-Cum-District Election Officer, Charkhi Dadri)
6. तथा EMD को राशि 20,000/- रुपये रिफंडेबल के रूप में जमा करवाने होंगे (in favour of Deputy Commissioner-Cum-District Election Officer, Charkhi Dadri)
7. धरोहर राशि 60,000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट सफल निविदाकार द्वारा उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी के पक्ष में जमा करवाना होगा।
8. उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी चरखी दादरी को किसी एक या सभी निविदायें बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।


टैन्ट के सामान की सूची निम्न प्रकार से है:-

1	पण्डाल (Per Sq. Feet)	15	जरनेटर छोटा 5 किलोवाट (तेल सहित तथा बिना तेल)	29	मैटिंग
2	कुर्सी प्लास्टिक	16	जरनेटर बड़ा 10 किलोवाट (तेल सहित तथा बिना तेल)	30	सर्विस लाईन डोरी
3	कुर्सी वी0आई0पी0	17	जरनेटर बड़ा 20 किलोवाट (तेल सहित तथा बिना तेल)	31	पंखा
4	कुर्सी डनलप	18	दरी	32	पंखा छत
5	मेज	19	मैट	33	घदर
6	शामियाना	20	ड्रम पानी का	34	सोफा
7	कनात	21	टब		
8	स्टेज सीढी	22	गिलास स्टील		
9	ट्यूब लाईट	23	गिलास कांच		
10	मेजपोस	24	ट्रे		
11	हैलोजन 500वाट	25	जग		
12	बल्ब 200 वाट	26	पर्दे		
13	बल्ब 100 वाट	27	पानी की टंकी		
14	गैस लालटेन	28	कालीन		


निर्वाचन कानूनगो
चरखी दादरी।


लेखा अधिकारी
हरियाणा परिवहन, च0 दादरी


नगराधीश महोदय
चरखी दादरी


उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।